उत्तर प्रदेश शासन

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग–4

संख्या–32/2025/207/25–27–सि0–4–30(डब्ल्यू)परि0/2024–फ.क.नं–1784003

लखनऊ: दिनांक: 05.02.2025

शुद्धि पत्र

जनपद मथुरा में अपर खण्ड आगरा नहर मथुरा के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत राजवाहा गोवर्धन के किमी० 0.000 से किमी० 17.200 तक पुनर्स्थापना एवं नहरी भूमि के सीमांकन के कार्य की परियोजना की अनुमोदित लागत रू0 438.18 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय व्ययक के अनुदान संख्या–94 के लेखाशीर्षक–4700–07–051–10–14–24 में उक्त परियोजना हेतु प्राविधानित बजट धनराशि रू० 369.22 लाख में से धनराशि रू० 200.00 लाख (रूपये दो करोड़ मात्र) प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त किये जाने की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या–669/2024/765पी/24–27–सि0–4/001–30(डब्ल्यू)परि0/2024–फ.क.नं–1784003, दिनांक 10.12.2024 द्वारा निर्गत की गई है।

2. उक्त निर्गत संदर्भगत शासनादेश की संख्या में टंकण त्रुटिवश 001 अंकित हो गया है। अत: उक्त निर्गत संदर्भगत शासनादेश की संख्या में 001 के स्थान पर 002 पढा जाये।

यह शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।

वी0एन0 तिवारी

उप सचिव ।

संख्या एंव दिनांक तदैव ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0, प्रयागराज।

2– महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।

3– प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

4– प्रमुख अभियन्ता (परि0 एवं नियो0/परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

5– मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन/बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

6– वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

7– मुख्य अभियन्ता स्तर–।(पश्चिम), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, मेरठ।

8– मुख्य अभियन्ता (यमुना) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, ओखला।

9– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, मथुरा।

10– वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–8

11– नियोजन अनुभाग–3

12– सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग–9

13– अनु सचिव,नोडल अधिकारी (लेखा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन

14– गार्ड फाईल।

आज्ञा से

वी0एन0 तिवारी

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in